

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 09/2022

रजिस्ट्रेशन नं. : 2022/10

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस
लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स,
शास्त्री सर्कल उदयपुर

अप्रार्थी /रेस्पोंडेंट्स:-

1. श्री घनश्याम सिंह सिसोदिया पुत्र श्री संग्राम सिंह सिसोदिया निवासी भागा कोट कल्याण कॉलोनी, तहसील व जिला बांसवाड़ा एवं 217, झरनिया, बोरिया, तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा(ऋणी)
2. श्रीमती पूजा कुंवर सिसोदिया पत्नी श्री घनश्याम सिंह सिसोदिया निवासी भागा कोट कल्याण कॉलोनी, तहसील व जिला बांसवाड़ा एवं सी/ओ क्रीएशन, खान्दुकोलोनी सर्कल, पुलिस लाईन के पास तहसील व जिला बांसवाड़ा (सहऋणी/बन्धक कर्ता)
3. श्रीमती गिरिजा कुंवर राठोर पत्नी श्री शंबू सिंह राठोर निवासी 288, भागा कोट कल्याण कॉलोनी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (जमानती)
4. श्रीमती जया राठोर पुत्री श्री ईश्वर सिंह राठोर निवासी भागा कोट कल्याण कॉलोनी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (जमानती)

बनाम

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :- 27.04.2022

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर 1- श्री घनश्याम सिंह सिसोदिया पुत्र श्री संग्राम सिंह सिसोदिया निवासी भागा कोट कल्याण कॉलोनी, तहसील व जिला बांसवाड़ा एवं 217, झरनिया, बोरिया, तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा(ऋणी) 2- श्रीमती पूजा कुंवर सिसोदिया पत्नी श्री घनश्याम सिंह सिसोदिया निवासी भागा कोट कल्याण कॉलोनी, तहसील व जिला बांसवाड़ा एवं सी/ओ क्रीएशन, खान्दुकोलोनी सर्कल, पुलिस लाईन




कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

3- श्रीमती गिरिजा कुंवर राठोर पत्नी श्री शंभू सिंह राठोर निवासी 288, भागा कोट कल्याण कॉलोनी, तहसील व जिला बांसवाडा (सहऋणी/बन्धक कर्ता) 3- श्रीमती गिरिजा कुंवर राठोर पत्नी श्री श्रीमती जया राठोर पुत्री श्री ईश्वर सिंह राठोर निवासी भागा कोट कल्याण कॉलोनी, तहसील व जिला बांसवाडा (जमानती) 4- बांसवाडा (जमानती) को दिनांक 21.02.2018 को राशि रुपया 8,00,000 (अक्षरे आठ लाख रुपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 21.01.2021 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 02-03-2021 को कुल बकाया राशि 7,25,400 रु. (सात लाख पच्चीस हजार चार सौ पचास रुपये मात्र) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। सिक्वोरीटी के रुप में अपनी अचल सम्पत्ति प्रार्थी के पास रहन की जिसका विवरण श्रीमती पूजा कुंवर सिसोदिया पत्नी श्री घनश्याम सिंह सिसोदिया की सयुक्त सम्पत्ति जो पट्टा विलेख संख्या 736, भूखण्ड संख्या 36, खसरा नंबर 2219, 2220, 2221 भागाकोट कल्याण कोलोनी, तहसील व जिला बांसवाडा पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसका माप लगभग 1050 वर्ग फीट है, जिसके पूर्व में रमेश का मकान पश्चिम में रोड, उत्तर में भूरा लाल जी का मकान, दक्षिण में रोड 15 फीट है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर 2015 के अनुसार प्रार्थी एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप-खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) सरफेसी एक्ट 2002 के तहत दिनांक 17-03-2021 को ऋणी अप्रार्थीगणों को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं की व ऋण राशि जमा नहीं करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट

है।



क्लर्क एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)


प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 21.01.2022 को जारी किये गए। अप्रार्थीगण सं. 1 व 4 के नोटिस दिनांक 11.02.2022 को, अप्रार्थी सं. 2 का नोटिस दिनांक 08.04.2022 को तथा अप्रार्थी सं. 3 का नोटिस दिनांक 27.04.2022 को वाद तामिल प्रस्तुत हुआ किन्तु अप्रार्थीगण स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे।

अतः नोटिस वाद तामिल प्रस्तुत होने एवं अप्रार्थीगणों को समुचित अवसर प्रदान करने के बावजूद अनुपस्थित रहे हैं। अतः अप्रार्थीगणों के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाँसवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
क्लर्क एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बाँसवाड़ा (राज.)
बाँसवाड़ा